राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रेम देवी बनाम अमरजीत हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2144/2025, 303/2026	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी सहमति जाहिर करते हुये उनकी बहस अन्तिम सुने जाने का निवेदन किया | अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2144/2025, 303/2026 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/06/2026 को पेश हो |	
01/06/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18/12/2024 पारित करते हुये तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि वाके ग्राम कालाडेरा पटवार हल्का कालाडेरा, भू.अ.नि.क्षे. कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 1103 जिसके आराजी खसरा नम्बर 2687 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2713 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर भूमि का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25/06/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18/12/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25/06/2025 के विरुद्ध अपील संख्या 2144/2025, 303/2026 इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रेम देवी बनाम अमरजीत हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2144/2025, 303/2026	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है | गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रो अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत है, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है | जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा क्रेता होने के आधार पर विक्रेता को पक्षकार बनाते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीये पारित करने की आपत्ति का प्रश्न है तो क्रेता कानूनन विक्रेता के फुट स्टेप पर ही रहता है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा उठाई गयी आपत्ति स्वीकार योग्य नही रह जाती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18/12/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25/06/2025 यथावत रखे जाते है एवं दोनों अपीले क्रमश: 2144/2025, 303/2026 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर